

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा)

वाद संख्या :- 02/123/2016

प्रभाती उर्फ प्रभाती बनाम सरकार
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 29.05.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट धीरोडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का दिनांक 29.07.2016 को पेश कर हाल आराजी खसरा नम्बर 49/14.70 है. वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में से 0.50 है. आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें, कार्यकाशत प्रार्थी ने रूकावट मजाहमत पैदा नहीं करने व मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में दिनांक 29.07.2016 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश जारी किये हैं।

अप्रार्थीगण पैरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार कर आराजी विवादित सिवायचक पहाड व पर्वत राजकीय भूमि होना अंकित किया जिसकी पुष्टि जमाबन्दी सम्वत 2072-75 खाता संख्या 01 वाके ग्राम धीरोडा के अंकित इन्द्राज से होती है। चूंकी आराजी वर्तमान रिकॉर्ड में सिवायचक पहाड व पर्वत राजकीय भूमि दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 कैम्प कोर्ट धीरोडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट धीरोडा)